रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2472] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2015/कार्तिक 29, 1937
No. 2472] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2015/KARTIKA 29, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2015

का.आ.3124 (अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

नरपुह वन्यजीव अभयारण्य, पूर्वी जनिता पहाड़ियां जोवाई, मेघालय 25°05'19" से 25°06'14" उत्तरी अक्षांश और 92°21'04" से 92°31'38" के बीच स्थित है जो 142.60 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है;

पुष्प एवं प्राणिजात इस अभयारण्य के प्रचुर जैविक महत्व का द्योतक है ।

अभयारण्य इसके इर्द गिर्द आरक्षित वन से घिरा हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भाग के सिवाय जो असम जिले के ग्रामों से घिरा हुआ है । उत्तरी भाग लुखा नदी से घिरा हुआ है जो एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न करती है । संपूर्ण क्षेत्र में ऐसे वनस्पति एवं जन्तु प्रजातियों की भरमार है जो पारिस्थितिकीय एवं ओषधीय महत्व के हैं। अभयारण्य कुछ शेष वन्य जीव आवासों में एक आवास है और इसमें प्रजाति विविधता वाले स्तनधारी जीव जैसे हुलक ऊलक, सेराव, लजीला वानर, रीछ, बड़ा भारतीय गंध बिलाव, तेंदुआ बिल्ली,

लमचित्ता मुंजक, गिलहिरयों की विभिन्न प्रजातियां हैं । संतरी तोंदु हिमालयी गिलहरी, उत्तरी खजूरी गिलहरी, ईरावाडी गिलहरी, ऊदबिलाव, नेवला तथा गादुर की प्रजातियां अर्थात् समवर्गी अश्वनाल गादुर वृहद् पूर्वी अश्व गादुर इत्यादि नरपुह I आरक्षित ब्लाक II भी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास है जिसमें गोरैया को अभी भी देखा जा सकता है । भिन्न-भिन्न प्रकार के तितलयों तथा मछलियों की प्रजातियां जिनमे से कुछ इन क्षेत्रों में संकटग्रस्त हैं और कुछ स्थानिक हैं ।

और, नरपुह वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य में नरपुह वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 7.58 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नरपुह वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, नरपुह वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मी. से 7.58 कि.मी. तक फैला हुआ है इस जोन की सीमा का विस्तृत रूप **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची नरपुह डब्ल्यू एलएस की सीमा के साथ साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांक और सीमा का वर्णन **उपाबंध-II** पर है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र तथा इसके अक्षांश और देशान्तर **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) योजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों के सुधार के कारक तथा पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) उक्त महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) उक्त महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास विनियमित करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(9) मेघालय राज्य की सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के लिए पृथक् आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 10,25, 35, 36, और 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण ;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रुप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) नुरपुर वन्यजीव अभयारण्य की एक किलोमीटर सीमा के भीतर होटलों और रिसार्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी निवास स्थानों के;

परंतु अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां**

(क) विधि के अनुसार स्थापित काष्ठ आधारित विद्यमान उद्योगों के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसार सर्वदा की जाएंगी ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(5)	नई बृहत थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्लास्टिक बैगों का उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए तथापि,

		पारिस्थितिकी संवयेदनशील जोन से एक कि.मी. परे तथा इसके विस्तार तक सभी नई पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा ।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय लोगों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के संनिर्माण पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के विस्तार तक एक कि.मी. से परे अनुज्ञात किए जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।
(12)	खाई स्थल।	कोई नई खाई स्थापित नहीं की जाएगी । पुरानी खाई स्थलों को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाना है।
(13)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्र्राव का निस्सारण।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अधीन विनियमित होंगे।
(14)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	भू-जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
(18)	प्रवासी चारागाह।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	विद्यमान स्थापन।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	विद्युत तारों का तापावरोधन।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गुजरने वाले विद्ययमान विद्युत लाइन के भूमिगत केबल आंचलिक महायोजना क अधीन विहित की गई समयावधि में पर्याप्त रूप से तापावरोधन किया जाएगा।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
(22)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	वन्य जीव के स्वतंत्र घूमने फिरने को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर होटल या अन्य वाणिज्यिक स्थापन कांटेदार तारों से अपनी संपत्तियों की तारबंदी नहीं करेंगे
(23)	लोक अधिकार।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	लघु चारा संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	सभी पथ और विद्यमान सड़कें यथावत रहेंगी	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	कृषि प्रणाली या भूमि उपयोग पैटर्न में प्रबल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	भूमि जल संचयन सहित प्राकृतिक जल संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन।	वाणिज्यिक उद्देय के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	विदेशी प्रजातियों का प्रारंभ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात कोई संनिर्माण क्रियाकलाप किसी नदी, सरिता के तटों से 1 से 10 मीटर से अधिक और 100 मीटर तक भी के

		ढलानों वाली पहाड़ी पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
(32)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(33)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(35)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(36)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(37)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(38)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) उपायुक्त, पूर्वी जंतीया पहाड़ियां जोवाई ; - अध्यक्ष ;

(ii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे मेघालय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; - सदस्य

(iii) गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि (जो पर्यावरण और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है) जिसे मेघालय राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; - सदस्य

(iv) कार्यपालक इंजीनियर, मेघालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य सचिव

(v) मुख्य वन अधिकारी - सदस्य;

(vi) प्रभागीय वन अधिकारी, डब्ल्यू (एल) ; - सदस्य

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध I V** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/156/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

नरपुह वन्यजीव अभयारण्य के ईदगिर्द पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा

सीमा वर्णन पारिस्थतिक संवदी जोन की सीमा नारपुह वन्यजीव अभयारण्य के चारो ओर इस प्रकार है :-

उत्तर:-उ0 25º06'40.7" और पू. 092º21'44.2" में सोनाप्रदी पुल बिन्दु सं. -1 के निकट सोनापुर बी-एस.एफ. पोस्ट से उत्तरपूर्वी भाग की ओर से उ.25º06'44.9" और पू0 92º22'24.7" बिन्दु स. -2 में सोनाप्रदी ग्राम के निकट लुखा नदी की ओर से 25º07'13.2" और 92º23'08.6" पॉइट सं -3 में लुखा नदी की ओर से उ. 25º07'34.9" और पू 92º23'20.6"बिन्दु स0- 4 में लुखा नदी की ओर उ. 25º08'01.3" और पू 92º23'20.9"बिन्दु सं.-5 में लुखा नदी की ओर 25º08'06.3" और पू. 92º23'23.9" बिन्दु सं.-6 में उत्तर के निकट टोंगसेग ग्राम के पैदल पुल की ओर से उ. 25º08'06.1" और पू. 92º24'01.3"बिन्दु सं. 7 में उत्तर पूर्व की ओर सें उ.25º08'18.5" और पूं. 92º24'47.5" बिन्दु सं -8 में पूर्वी सखरी ग्राम की ओर से उ.25º08'3804 और पू.92º25'17.0"बिन्दु सं. -9 में पूर्व में लुखा नदी की ओर से उ.25º09'02.3" और पू.92º25'46.8"बिन्दुसं. -10 में पूर्व में लुखा नदी की ओर से उ.25º09'09.2" और पू. 92º26'19.4"बिन्दु सं. -11 में पूर्व में लुखा नदी की ओर उ.25º09'20.4" और पू0 92º26'16.4"बिन्दु सं. 12- में उत्तर पूर्व के निकट खादुम पैदल पुल की ओर से उ. 25º09'29.0" पू0 92º26'20.2"बिन्दु सं.-13 में उत्तर पूर्व के निकट घुमकर खादुम पैदल पूल की ओर से उ0 25º09'15.6" और पू0 92º26'36.4" बिन्दु सं.- 14 में पूर्व में लुखा नदी की ओर की ओर से उ0 25º09'16.8' और पू0 92º26'54.3"बिन्दु सं. 15 मे पूर्व के निकट खादुम ग्राम की ओर से उ. 25º08'58.3"और पू092º30'44.7" बिन्दु सं. 16 में पूर्व में लुखा नदी की ओर उ.25º08'22.2" और पू0 92º31'24.3" बिन्दु सं. -17 में दक्षिण पूर्व में लुखा नदी।

पूर्व : उ025º08'22.2" और पू.92º31'24.3" बिन्दु सं. -17 तक इसके बाद उ.25º08'03.9" और पू.92º31'25.6" दक्षिणबिन्दु सं 18 की ओर से उ. 25º07'19.0" और पू.92º31'38.9" दक्षिण पूर्वीबिन्दु सं.-19 की ओर से उ.25º06'08.3"और पू. 92º31'43.5" दक्षिण पूर्वीबिन्दु सं -20 की ओर से और पू.25º06'21.2"और पू092º31'02.2" उत्तर पश्चिमबिन्दु स. -21 की ओर से उ 25º06'11.5" और पू. 92º30'35.8" पश्चिमबिन्दु सं. -22 की ओर से उ.25º06'25.7"और पू.92º29'56.7" पश्चिमबिन्दु सं. 23 की ओर से उ. 25º06'30.7"और पू.92º29'08.3"बिन्दु सं. -24 की ओर से उ. 25º06'18.5" और पू. 92º28'50.4" दक्षिणबिन्दु सं. -25 तक।

दक्षिण: उ0 25º06'18.5"और पू 92º28'50.4 बिन्दु सं. -25 की ओर से उ0 25º05'55.0" और पू. 92º28'51.3" दक्षिण बिन्दु सं -26 की ओर से उ. 25º05'19.7" और पूं. 92º28'43.1" दक्षिणबिन्दु सं.-27 की ओर से 25º03'53.7" और पू.92º28'19.6"बिन्दु सं.-28 में दक्षिण के निकट (सैतुल ग्राम) काला नाला मलोदोर नदी की ओर से उ.5º03'15.8" और पू 92º27'51.4"बिन्दु सं.-29 दक्षिण का काला नाला की ओर से उ. 25º02'03.6" और पू.92º27'52.5"बिन्दु सं.-30 मोड बिन्दु के निकट मलोदोर का काला नाला पुल की ओर से उ. 25º02'14.7" और पू. 92º26'58.5"बिन्दु सं.-31पश्चिम में एन –एच -44 की ओर से उ. 25º02'01.9" और पू. 92º26'17.8"बिन्दु सं -32 पश्चिम मे एन –एच 44 के निकट रातान्दरा ग्राम की ओर से 25º01'37.6" और पू.92º25'45.8" दक्षिण पश्चिम बिन्दु सं -33 की ओर से उ.25º02'40.3" और पू 92º24'21.6"बिन्दु सं. -34उत्तर पचम के निकट दोना नदी की ओर से उ. 25º03'41.5" और पू0 92º23'09.8" बिन्दु सं. 35 उत्तर पश्चिम के निकट उमकैंग ग्राम तक।

पश्चिम: उ0 25º03'41.5" और पू.92º23'09.8"बिन्दु सं.-35 की ओर से उ0 25º04'48.6" और पू0 92º22'43.8" उत्तर पश्चमबिन्दु सं -36 की ओर से 25º04'20.8" और पू. 92º21'45.9"बिन्दु सं -37 दक्षिण पश्चिम के निकट कुलैंग ग्राम की ओर से उ0 25º04'41.4" और

पू. 92º20'48.9"बिन्दु सं -38 में लुखा नदी को पार करके निकट बोसरा बीट ग्राम की ओर से उ.25º05'08.5" और पू. 92º20'31.5" उत्तर के निकट बोसारा बीट ऑफिस की ओर से उ.25º06'07.5" और पू.92º21'10.3".बिन्दु सं. -40 उत्तर के निकट शियम्पलौग ग्राम तक।

उपाबंध-II

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र के साथ निर्देशांक

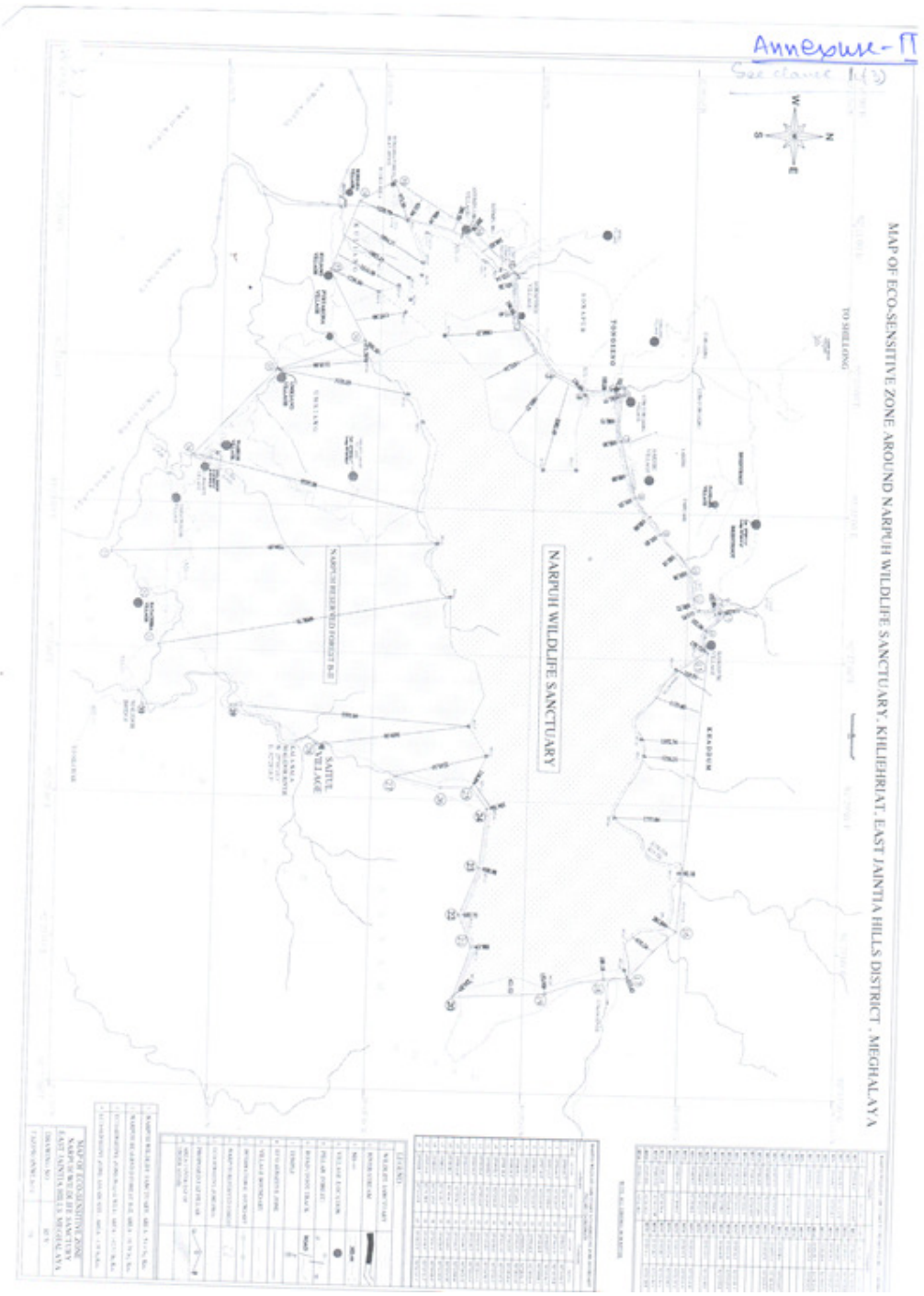

उपाबंध-III

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	गाँव का नाम	अक्षांश	देशान्तर
1	कुलिंग	25°04'19.0"	92°21'51.4"
2	दोना अम्बलुह	25°02'28.0"	92°24'58.6"
3	मलिडोर	25°01'50.0"	92°27'42.3"
4	स्कूर	25° 02'49.5"	92°24'32.0"
5	उमंकी अंग	25°03'45.4"	92°23'17.2"
6	पहर	25°04'42.1"	92°24'36.4"
7	सिम्पलाँग	25°06'03.0"	92°21'10.2"
8	सैटल	25°07'23.6"	92°28'21.1"
9	वहखोह	25°03'05.2"	92°24'14.1"
10	खडइम	25°09'19.0"	92°26'47.5"
11	सोनपीर्डी	25°06'47.0"	92°22'19.9"

नरपुह की सीमा के साथ अंक के जीपीएस निर्देशांक

नरपुह वन्यजीव अभयारण्य के संवदी जोन कि सीमा के बिंदुओं के पीआई.आई.ए .आर निर्देशांक					
निर्देशांक			निर्देशांक		
क्र .स.	अक्षांश	देशांन्तर	क्र.सं	अक्षांश	देशांन्तर
1	25°06'40.7"	92°21'44.2"	21	25°06'21.3"	92°31'02.2"
2	25°06'44.9"	92°22'24.9"	22	25°06'11.6"	92°30'35.8"
3	25°07'13.2"	92°23'08.6"	23	25°06'25.7"	92°29'56.7"
4	25°07'34.9"	92°23'20.6"	24	25°06'30.8"	92°29'08.1"
5	25°08'01.3"	92°23'20.9"	25	25°06'18.5"	92°28'50.4"
6	25°08'06.3"	92°23'23.9"	26	25°05'55.0"	92°28'51.3"
7	25°08'06.1"	92°24'01.3"	27	25°05'19.7"	92°28'43.0"
8	25°08'18.5"	92°24'47.5"	28	25°03'13.6"	92°28'18.4"
9	25°08'38.4"	92°25'17.0"	29	25°03'13.6"	92°27'47.5"
10	25°09'02.3"	92°25'46.8"	30	25°02'06.6"	92°27'49.2"
11	25°09'09.2"	92°26'19.4"	31	25°02'18.1"	92°26'59.3"
12	25°09'20.4"	92°26'16.4"	32	25°02'03.0"	92°26'14.1"
13	25°09'29.0"	92°26'20.2"	33	25°01'40.7"	92°25'43.9"
14	25°09'15.6"	92°26'36.4"	34	25°02'40.3"	92°24'21.6"
15	25°09'16.8"	92°26'54.3"	35	25°03'41.5"	92°23'09.8"
16	25°08'58.3"	92°30'44.7"	36	25°04'48.6"	92°22'43.8"
17	25°08'22.2"	92°31'24.3"	37	25°04'20.8"	92°21'45.9"
18	25°08'03.9"	92°31'25.6"	38	25°04'41.4"	92°20'48.9"
19	25°07'19.0"	92°31'38.9"	39	25°05'08.5"	92°20'31.5"
20	25°06'08.3"	92°31'43.8"	40	25°06'07.5"	92°21'10.3"

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2015

S.O.3124(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Narpuh Wildlife Sanctuary, East Janita Hills Jowai, Meghalaya is lying between 25°05'19" to 25°06'14" North latitudes and 92°21'04" to 92°31'38" East and latitudes.

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary.

The Sanctuary is bounded by the Reserved Forests around it, except a part of South West and Eastern part which is bounded by villages and Assam. The Northern part is bounded by the Lukha River forming a physical barrier. The entire area is very rich in plant and animal species which are of ecological and medicinal significance. The Sanctuary is one of the few remaining wildlife habitats and is having species diversity from mammals viz., Hoollock Gibbon, Serow, Slow Loris, Sloth Bear, Large Indian Civet, Leopard Cat, Clouded Leopard, Barking Deer, different varieties of Squirrel viz. The Orange bellied Himalayan Squirrel, Northern Palm Squirrel, Irrawaddy Squirrel, Otter, Mongoose and varieties of fruit Bats viz., the Allied Horse Shoe Bat, Great Eastern Horse Bat etc. The Narpuh Reserved Block II is also a habitat for varieties of birds which the India Horn Bull can still be sighted, butterfly and fishes of different varieties, some of which are endangered and endemic to these areas.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Narpuh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and process in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area range from 100 meter to 7.58 kilometer from the boundary of Narpuh Wildlife Sanctuary in the State of Meghalaya as the Narpuh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 142.60 Sq.kms with range from 100 meter to 7.58 kilometer from the boundary of Narpuh Wildlife Sanctuary. Boundary details are given in Annexure-I.

(2) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone are given at Annexure-II. The GPS Co-ordinates of points along the boundary of Narpuh and boundary description are given at Annexure-II A.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone and latitudes and longitudes is appended as Annexure-III.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final the word final will be emplaced by the word " this" at the time of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Municipal,
(vi) Revenue,
(vii) Agriculture
(ix) Meghalaya State Pollution Control Board,
(x) Irrigation
(xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, need of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against numbers 10,21,35,36 and 37 in Colum (2) of the table in paragraph namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
(iii) Small scale industries not causing pollution,
(iv) Rainwater harvesting, and
(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Narpuh Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provide that beyond the distance of one kilometre form the boundary of the sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, establishment of new Hotels and resort shall be permitted only in the pre defined and designated areas of eco-tourism facility as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Meghalaya State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Meghalaya State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of

Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time-

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(12) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood - based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood - based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
11.	Construction activities	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
12.	Trenching ground	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and Vehicular Pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the ESZ shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Public Rights.	Regulated under applicable laws.
24.	Collection of small Fodder.	Regulated under applicable laws.

25.	All the way and existing roads will remain as it is.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of Agriculture system.	Regulated under applicable laws.
27.	Commercial use of Natural water Resource including Ground water Harvesting.	Regulated under applicable laws.
28.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Sign Board and Hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 metre and also upto 100 metre from the banks of any river, and natural sheen .
	Permitted Activities	
32.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Committee for the State of Meghalaya to be called the Monitoring Committee, which shall comprise of the following, namely:-

i) Deputy Commissioner, East Jantia Hills Jowai - Chairman

ii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Meghalaya for a period of one year. - Member

iii) One representative of Non-governmental Organization (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Meghalaya for a period of one year in each case. - Member

iv) Executive Engineer, Meghalaya Pollution Control Board - Member

v) Chief Forest Officer - Member

vi) Divisional Forest Officer (WL) - Member-Secretary

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 butare

falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual Action Taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F.No.25/156/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary Description : The boundary of the Eco-Sensitive Zone around the Narpuh Wild Life Sanctuary are as follows.

North: From the Sonapur BSF Post near Sonapyrdi Bridge Point No: 1 at N 25^{0}06'40.7" and E 92^{0}21'44.2" then proceed towards the Northeastern side along the Lukha River Near Sonapyrdi village at point No:2 at N 25^{0}06'44.9" and E 92^{0}22'24.7" then following the Lukha River Point No. 3 at N 25^{0}07'13.2" and E 92^{0}23'08.6" then following the Lukha River point No. 4 at N 25^{0}07'34.9" and E 92^{0}23'20.6" then following the lukha River point No. 5 at N 25^{0}08'01.3" and 92^{0}23'20.9" then proceeding towards East near Lum-Tongseng village Foot Bridge along the Lukha River Point No 6 at N 25^{0}08'06.3" and E92^{0}23'23.9" then proceeding towards Northestern Point No. 7 at N 25^{0}08'06.1" and E 92^{0}24'01.3" then proceeding Eastern near Sakhri village point No. 8 at N 25^{0}08'18.5" and E 92^{0}24'47.5" then proceeding towards East along the Lukha River Point no.9 at N 25^{0}08'3804 and E 92^{0}25'17.0" then proceeding towards East along the Lukha River Point No. 10 at N 25^{0}09'02.3" and E 92^{0}25'46.8" then proceeding towards East along the Lukha River point No. 11 at N 25^{0}09'09.2" and E 92^{0}26'19.4" then proceeding towards North-East near Khaddum Foot Bridge Point No. 12 at N 25^{0}09'20.4" and E 92^{0}26'16.4" then turning towards Northeast Near Khaddum Foot Bridge Point No. 13 at N 25^{0}09'29.0" and E 92^{0}26'20.2" then proceeding towards East along the Lukha River Point No. 14 at N 25^{0}09'15.6" and E 92^{0}26'36.4" then proceeding towards East Near Khaddum Village point No. 15 at N 25^{0}09'16.8' and E 92^{0}26'54.3" then proceeding towards east along the Lukha River Point No. 16 at N 25^{0}08'58.3" and E 92^{0}30'44.7" then proceeding towards South east along the Lukha River Point No. 17 at N 25^{0}08'22.2" and E 92^{0}31'24.3".

East: From Point No. 17 at N 25^{0}08'22.2" and E 92^{0}31'24.3" then turning towards South Point No. 18 at N 25^{0}08'03.9" and E 92^{0}31'25.6" then proceeding towards south East Point No. 19 at N 25^{0}07'19.0" and e 92^{0}31'38.9" then proceeding towards south Point No.20 at N 25^{0}06'08.3" and E 92^{0}31'43.5" then turning towards north west Point No. 21 at N 25^{0}06'21.2" and E 92^{0}31'02.2" then then proceeding towards west Point No. 22 at N 25^{0}06'11.5" and E 92^{0}30'35.8" then proceeding towards West Point No. 23 at N 25^{0}06'25.7" and E 92^{0}29'56.7" then proceeding towards West Point No. 24 at N 25^{0}06'30.7" and E 92^{0}29'08.3" then turning towards South Point No. 25 at N 25^{0}06'18.5" and E 92^{0}28'50.4".

South: From Point No. 25 at N 25^{0}06'18.5" and E 92^{0}28'50.4 then proceeding towards South Point No. 26 at N 25^{0}05'55.0" and E 92^{0}28'51.3" then proceeding towards South Point No. 27 at N 25^{0}05'19.7" and E 92^{0}28'43.1" then proceeding towards South near (Saitul Village) Kala Nala malodor River Point No. 28 at N 25^{0}03'53.7" and E 92^{0}28'19.6" then proceeding towards South along the Kala Nala Point No. 29 at N 25^{0}03'15.8" and E 92^{0}27'51.4" then turning point near Malidor Bridge Kala Nala Point no.30 at N 25^{0}02'03.6" and E 92^{0}27'52.5" then proceeding towards West along the NH-44 point No. 31 at N 25^{0}02'14.7" and E 92^{0}26'58.5" then proceeding towards West along the NH-44 near Ratachara Village Point No. 32 at N 25^{0}02'01.9" and E 92^{0}26'17.8" then proceeding towards South-West Point No. 33 at N 25^{0}01'37.6" and E 92^{0}25'45.8" then proceeding towards North-West Near Dona River Point No.34 at N 25^{0}02'40.3" and E 92^{0}24'21.6" then proceeding towards North West near Umkiang Village at Point No.35 N 25^{0}03'41.5" and E 92^{0}23'09.8".

West : From Point No.35 N 25^{0}03'41.5" and E 92^{0}23'09.8" then proceeding towards North West Point No. 36 at N 25^{0}04'48.6" and E 92^{0}22'43.8" then proceeding towards South West near Kuliang village Point No. 37 at N 25^{0}04'20.8" and E 92^{0}21'45.9" then crossing Lukha River near Borsara village Point No. 38 at N 25^{0}04'41.4" and E 92^{0}20'48.9" then proceeding towards North near Borsara Beat Office Point No. 39 at N 25^{0}05'08.5" and E 92^{0}20'31.5" then proceeding towards North near Shymplong Village Point No.40 at N 25^{0}06'07.5" and E 92^{0}21'10.3".

Annexure-II

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone of Narpuh wildlife Sanctuary

Sl.NO.	Village name	Latitude	Longitude
1	Kuilang	25^{0}04'19.0"	92^o 21' 51.4"
2	Dona Umbluh	25^{0}02'28.0"	92^o 24' 58.6"
3	Malidor	25^{0}01'50.0"	92^o 27' 42.3"
4	Dona Skur	25^{0}02'49.5"	92^o 24' 32.0"
5	Umkiang	25^{0}03'45.5"	92^o 23' 17.2"
6	Umkaing Pahar	25^{0}04'45.4"	92^o 24' 36.4"
7	Shymplong	25^{0}06'03.0"	92^o 21' 10.2"
8	Saitul	25^o 07'23.6"	92^o 28' 21.1"
9	Wahkhoh	25^{o}03'05.2"	92^o 24' 14.1"
10	Khaddum	25^{o}09'19.0"	92^o 26' 47.5"
11	Sonapyrdi	25^o 06'47.0"	92^o 22' 19.9"

ANNEXURE-II A

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Narpuh WLS

Co-ordinates			Co-ordinates		
Point No.	**Latitude**	**Longitude**	**Point No.**	**Latitude**	**Longitude**
1	25°06'40.7"	92°21'44.2"	21	25°06'21.3"	92°31'02.2"
2	25°06'44.9"	92°22'24.9"	22	25°06'11.6"	92°30'35.8"
3	25°07'13.2"	92°23'08.6"	23	25°06'25.7"	92°29'56.7"
4	25°07'34.9"	92°23'20.6"	24	25°06'30.8"	92°29'08.1"
5	25°08'01.3"	92°23'20.9"	25	25°06'18.5"	92°28'50.4"
6	25°08'06.3"	92°23'23.9"	26	25°05'55.0"	92°28'51.3"
7	25°08'06.1"	92°24'01.3"	27	25°05'19.7"	92°28'43.0"
8	25°08'18.5"	92°24'47.5"	28	25°03'13.6"	92°28'18.4"
9	25°08'38.4"	92°25'17.0"	29	25°03'13.6"	92°27'47.5"
10	25°09'02.3"	92°25'46.8"	30	25°02'06.6"	92°27'49.2"
11	25°09'09.2"	92°26'19.4"	31	25°02'18.1"	92°26'59.3"
12	25°09'20.4"	92°26'16.4"	32	25°02'03.0"	92°26'14.1"
13	25°09'29.0"	92°26'20.2"	33	25°01'40.7"	92°25'43.9"
14	25°09'15.6"	92°26'36.4"	34	25°02'40.3"	92°24'21.6"
15	25°09'16.8"	92°26'54.3"	35	25°03'41.5"	92°23'09.8"
16	25°08'58.3"	92°30'44.7"	36	25°04'48.6"	92°22'43.8"
17	25°08'22.2"	92°31'24.3"	37	25°04'20.8"	92°21'45.9"
18	25°08'03.9"	92°31'25.6"	38	25°04'41.4"	92°20'48.9"
19	25°07'19.0"	92°31'38.9"	39	25°05'08.5"	92°20'31.5"
20	25°06'08.3"	92°31'43.8"	40	25°06'07.5"	92°21'10.3"

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NARPUH WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

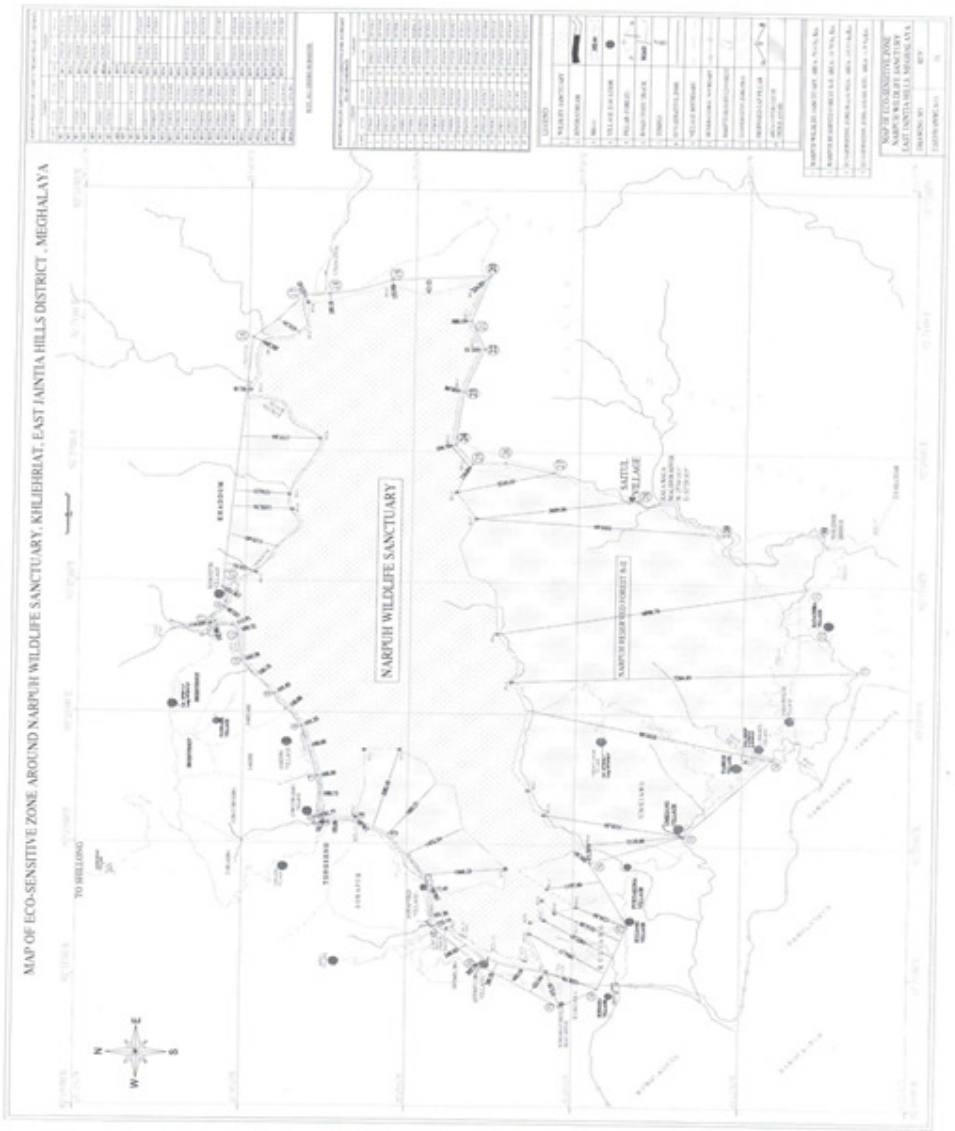

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings;
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise);

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

   Details may be attached as separate Annexure;
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

   Details may be attached as separate Annexure;
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.